

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 283/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 20.07.2026

थाना- महाराजगंज, जनपद- आजमगढ़

- ☐ साइबर ठगी के पैसे एटीएम व यूपीआई के माध्यम से कैश कराने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।
- ☐ कूटरचित आधार कार्ड के माध्यम से बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराध में संलिप्त था अभियुक्त।

पूर्व की घटना/इतिहास-

थाना महाराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2026 धारा 317(2)/318(4)/336(3)/340(2) बीएनएस एवं 66सी आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग में प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण कूटरचित आधार कार्ड तैयार कर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाते थे तथा साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि उन खातों में मंगाकर एटीएम एवं जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से यूपीआई द्वारा नकद निकालते थे। उक्त प्रकरण में विकास यादव सहित चार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना महाराजगंज पर निरीक्षक स्तर का अधिकारी नियुक्त न होने के कारण विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी को आवंटित किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष महाराजगंज जयप्रकाश के नेतृत्व में थाना महाराजगंज पुलिस एवं साइबर सेल आजमगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.07.2026 को रात्रि 00:10 बजे बजरंग चौक, कस्बा महाराजगंज से वांछित अभियुक्त विकास यादव पुत्र राकेश यादव, निवासी उसुरकुढ़वा, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से एटीएम एवं जनसेवा केन्द्रों से नकद निकालने का कार्य करता था। अभियुक्त ने अपने कृत्य पर पश्चाताप व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने की बात कही।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 176/2026 धारा 317(2)/318(4)/336(3)/340(2) बीएनएस एवं 66सी आईटी एक्ट थाना- महाराजगंज, जनपद- आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- विकास यादव पुत्र राकेश यादव, निवासी उसुरकुढ़वा, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष जयप्रकाश के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार, का0 संगम कुमार, का0 सुधीर गोस्वामी तथा साइबर सेल आजमगढ़ के प्रभारी उ0नि0 रविप्रकाश गौतम, हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल, का0 श्याम कुमार एवं का0 सत्येन्द्र यादव थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़।

थाना- मेहनगर, जनपद- आजमगढ़

☐ मारपीट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद।

☐ बीच-बचाव करने आए युवक पर लाठी-डंडे व चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 18.07.2026 को वादी श्री नन्हकू चौहान पुत्र स्व. मेढ़ई चौहान निवासी ग्राम जाफरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेहनगर पर लिखित तहरीर दी गई कि ग्राम भदसारी निवासी अनिल सरोज एवं रामबिन्द के बीच विवाद हो रहा था। उनका पुत्र रन्नू चौहान बीच-बचाव कर रामबिन्द को उसके घर छोड़कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान जाफरपुर-भदसारी मोड़ के पास अनिल सरोज, पंकज सरोज एवं गोविन्द सरोज ने रन्नू चौहान को रोककर जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडे एवं चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं तथा पांच टांके लगे। घटना के दौरान आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0 261/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.07.2026 को उ0नि0 शिवनारायण मौर्य मय हमराह हे0का0 अनिल कुमार एवं हे0का0 रमेश द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त अनिल सरोज पुत्र ललसू सरोज निवासी ग्राम भदसारी, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को जाफरपुर से समय 12:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठी बरामद की गई।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 261/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस थाना- मेहनगर, जनपद- आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

• अनिल सरोज पुत्र ललसू सरोज, निवासी ग्राम भदसारी, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।
बरामदगी-

• घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 शिवनारायण मौर्य
- हे0का0 अनिल कुमार
- हे0का0 रमेश थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।